प्राथमिकता / तत्काल
संख्या– 584 / 5–1–2015–5(2) / 2014

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2015

विषयः– राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क पैथालाजी परीक्षण / जॉच सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी शासनादेश संख्या–91 / पांच–1–2014–5(2) / 2014, दिनांक 07–02–2014 के संबंध में।

महोदय,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डा0 एस0पी0एम0 सिविल चिकित्सालय लखनऊ द्वारा पत्रांक–नि0एवं प्र0अ0 / 2015 / 15631, दिनांक–11.02.2015 के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि शासनादेश संख्या–91 / पांच–1–2014–5(2) / 2014, दिनांक 07–02–2014 में पी0पी0 ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच में सम्मिलित न होने के कारण मरीजों में भ्रम / असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है एवं तद्विषयक स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गई है।

3– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या–91 / पांच–1–2014–5(2) / 2014, दिनांक 07–02–2014 के साथ संलग्न ओपीडी, जनरल वार्ड तथा पेइंग वार्ड के रोगियों हेतु निःशुल्क की गयी जांचों की सूची मे मीडियम ग्रुप टेस्ट के क्रमांक–17 पर एतदद्वारा " **ब्लड शुगर (वन सैम्पल)**" के स्थान पर " **ब्लड शुगर" पढ़ा जाय।**

शासनादेश संख्या–91 / पांच–1–2014–5(2) / 2014, दिनांक 07–02–2014 में संलग्न सूची सहित शेष शर्ते एवं आदेश यथावत रहेगी।

भवदीय,

/

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, मण्डलीय चिकित्सालय उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय(पुरूष / महिला) / संयुक्त जिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
अनु सचिव।